राजस्थान सरकार

श्री हरि शंकर भाभड़ा

उप मुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान

का

भाषण

जो उन्होंने

राजस्थान विधान सभा में वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान

प्रस्तुत करते समय दिया

जयपुर, 9 जुलाई, 1998

श्रीमन्

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के परिवर्तित अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

2. भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में परम्परागत रूप से राजस्थान पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता रहा है । राजस्थान सामन्तशाही काल से ही योजना आधारित अर्थव्यवस्था के अभाव में कृषि, आधारभूत ढाँचे, मानव संसाधन विकास एवं उद्योग के क्षेत्रों में काफी पिछड़ा रहा । प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन के कारण लम्बी अवधि तक सकल उत्पाद में ठहराव एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव में प्रदेश का विकास एक चुनौती रहा है । राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों यथा बृहत् क्षेत्रफल में कम आबादी घनत्व, लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय औसत से अधिक राज्य की जनसंख्या में कमजोर वर्ग की बहुलता, प्रदेश के 61 प्रतिशत क्षेत्रफल का रेगिस्तान होना, प्रदेश में देश के सतही जल की मात्रा की एक प्रतिशत उपलब्धता, केन्द्रीय उपक्रमों की कुल सम्पत्तियों का राज्य में 2 प्रतिशत से भी कम निवेश होना

एवं मानसून पर आधारित कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण राज्य का विकास और भी दुष्कर हो गया था ।

3. वर्ष 1990-91 में राज्य में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1 हजार 943 रुपये एवं प्रति व्यक्ति योजना गत विनियोजन 279 रुपये था । वर्ष 1990-91 में प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल उत्पाद 20 हजार 710 करोड़ रुपये था । वर्ष 1991 में राज्य का स्वयं का कर संग्रह मात्र 1 हजार 216 करोड़ रुपये एवं गैर कर राजस्व 820 करोड़ रुपये था ।

4. वर्ष 1991-92 से आर्थिक एवं कर सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ कर अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जो कदम केन्द्र सरकार ने उठाए उनका विपरीत प्रभाव राज्यों की अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय स्थिति पर पड़ना अपरिहार्य था। आर्थिक सुधार एवं समायोजन की प्रक्रिया में आयकर एवं उत्पाद शुल्क की दरों व राजकोषीय घाटे में कमी करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप न केवल राज्य सरकार के केन्द्रीय करों के हिस्से की वृद्धि दर में कमी आई बल्कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से राजस्व एवं पूंजीगत खाते के पेटे

मिलने वाली राशियों के कुल अन्तरण में भी गिरावट आई । परन्तु राज्य द्वारा राजस्व संग्रहण में चुस्ती रखे जाने के कारण वर्ष 1990-91 में 1 हजार 216 करोड़ 50 लाख रुपये के कर राजस्व के मुकाबले वित्तीय वर्ष 1997-98 में कर राजस्व संग्रहण 3 हजार 768 करोड़ 79 लाख रुपये रहा जो 17.53 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि दर्शाता है ।

5. राज्य का अपना कर व गैर कर राजस्व जो वर्ष 1990-91 में मात्र 2 हजार 36 करोड़ 55 लाख रुपये था वर्ष 1997-98 में बढ़कर 5 हजार 206 करोड़ 78 लाख रुपये हो गया है, जो इस अवधि में 156 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है । हमने करों में रियायत देने के बावजूद भी बेहतर प्रबन्धन करके राजस्व में वृद्धि की है ।

6. वित्तीय वर्ष 1990-91 में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से, योजना एवं गैर-योजना अनुदान व केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं हेतु अनुदान के तहत प्राप्त राशि राज्य के राजस्व की कुल प्राप्तियों की 44.17 प्रतिशत थी जो कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों में

घटकर 40.25 प्रतिशत ही रह गई । यदि इन प्राप्तियों का प्रतिशत इस वर्ष तक 44.17 प्रतिशत ही रहता तो राज्य को वित्तीय वर्ष 1997-98 में इन मदों के तहत 342 करोड़ रुपये अधिक मिलते ।

7. केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से, अनुदान व पूंजीगत मद के तहत ऋण के पेटे कुल अन्तरण की राशि में भी राज्य की समग्र प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गिरावट आयी है । इन मदों के पेटे वर्ष 1990-91 में प्राप्त राशि जो राज्य की समग्र प्राप्तियों का 47.62 प्रतिशत थी, वह वर्ष 1997-98 में घटकर 33 प्रतिशत रह गई ।

8. साथ ही केन्द्रीय सरकार से योजनागत व्यय के वित्त पोषण हेतु संशोधित गाडगिल फार्मूले के तहत मिलने वाली योजना सहायता राशि कुल योजनागत व्यय के प्रतिशत के रूप में भी दिनों दिन कमी आई है। 3 हजार करोड़ रुपये की सातवीं पंचवर्षीय योजना के वित्त पोषण हेतु योजना सहायता राशि 27 प्रतिशत थी जो आठवीं योजना के लगभग 12 हजार करोड़ रुपये हो जाने के बावजूद भी घटकर 15.39 प्रतिशत ही रह गई। इसमें अनुदान का अंश

भी घटकर आठवीं योजना में मात्र 4.62 प्रतिशत ही रह गया ।

9. इसी प्रकार वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में जो केन्द्रीय योजना सहायता मिली थी वह योजना आकार की 33.60 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 1997-98 में यह सहायता, योजनागत व्यय का मात्र 13.79 प्रतिशत रह गयी।

10. मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि केन्द्र से विभिन्न मदों के तहत मिलने वाली राशियों में गिरावट के बावजूद भी राज्य सरकार ने कोई नया कर नहीं लगा कर केवल बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अपने स्तर पर अतिरिक्त संसाधन जुटाये हैं और सभी चुनौतियों से निपटते हुए 12 हजार करोड़ रुपये की महती आठवीं पंचवर्षीय योजना को सीमित संसाधनो के बावजूद भी पूरा किया है । विकास के प्रति कटिबद्ध हमारी सरकार ने संसाधनों को जुटाने व योजना आकार को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्न कदम उठाये:-

(i) बाह्य सहायता, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के काल में मात्र 95 करोड़ 60 लाख रुपये थी, उसकी तुलना में आठवीं योजना में लगभग 983 करोड़ रुपये की प्राप्त की गई ।

(ii) राज्य में अल्प बचत संग्रहण को प्रोत्साहित कर, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुद्ध संग्रहण लगभग 920 करोड़ रुपये एवं उसके पेटे 689 करोड़ रुपये के ऋण की तुलना में आठवीं योजना में लगभग 2 हजार 922 करोड़ रुपयों के शुद्ध संग्रहण के पेटे 2 हजार 44 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया गया । गत वर्ष 1997-98 में 1 हजार 210 करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रहण किया गया व 783 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किये गये जो सातवीं योजना की पूर्ण अवधि में प्राप्त ऋणों की राशि से भी 93 करोड़ रुपये अधिक थे। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अल्प बचत के लक्ष्यों से अधिक राशि संग्रहण करने पर कुछ अंश तक राशि संबंधित क्षेत्र में बतौर प्रोत्साहन राशि के विनियोजित करने का नया प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचारधीन है ।

(iii) परम्परागत संस्थागत स्रोतों से हटकर राज्य सरकार ने नाबार्ड के 'रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड' जैसे स्रोत से भी ऋण प्राप्त किये ।

(iv) आठवीं पंचवर्षीय योजना के काल में राज्य सरकार ने योजनागत व्यय में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिये उसे बजटेतर संसाधनों से भी पोषित करने की प्रक्रिया की शुरूआत की :

(अ) निजी क्षेत्र के संसाधनों के विनियोजन हेतु 'बूट' एवं 'बोट' प्रणाली के तहत निजी क्षेत्र को आमंत्रित कर सड़क, बाई-पास एवं पुलों का निर्माण करवाया जा रहा है;

(ब) राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रमों को भी स्वावलम्बी बनाने व उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चयनित उपक्रमों के साथ समझौता-पत्र (Memorandum of Understanding) सम्पादित किये । उपक्रमों की राज्य सरकार पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें बाजार से पूंजी उगाहने को प्रेरित किया । इसके परिणाम स्वरूप राजकीय उपक्रमों का संचयी घाटा जो वर्ष 1989-90 के अन्त में 707 करोड़ 19 लाख रुपये था, वर्ष 1995-96

तक घटकर 462 करोड़ रुपये रह गया । आठ उपक्रम जो घाटे में चल रहे थे, वर्ष 1995-96 में लाभ अर्जित करने लगे । जहां इन उपक्रमों का शुद्ध लाभ जो वर्ष 1989-90 में 8 करोड़ 79 लाख रुपये था, वर्ष 1995-96 में बढ़कर 42 करोड़ 11 लाख रुपये हो गया, वहीं राज्य सरकार को विनियोजन पर मिलने वाले लाभांश में भी वृद्धि हुई है। जहां यह लाभांश वर्ष 1991-92 में मात्र 57 लाख रुपये था, वर्ष 1997-98 में बढ़कर 826 लाख रुपये हो गया है ।

11. लगभग 12 हजार करोड़ रुपये के व्यय के फलस्वरूप आठवीं योजना के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों की झलक सातवीं योजना की तुलना में निम्न सूचकों में दिखाई देती है :-

क्रं.सं.	सूचक	सातवी पंचवर्षीय योजना	आठवीं पंचवर्षीय योजना
1.	स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में	1716 रु.	2247 रु.
2.	प्रति व्यक्ति विनियोजन	876 रु.	2613 रु.
3.	खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन	77 लाख टन	103 लाख टन
4.	तिलहन का औसत वार्षिक उत्पादन	13 लाख टन	30 लाख टन
5.	कपास की गांठों का औसत वार्षिक उत्पादन	6 लाख गांठें	11 लाख गांठें
6.	रासायनिक खाद की खपत	28 लाख टन	61 लाख टन
7.	फँव्वारा सिंचाई सैट की स्थापना	3 हजार एक सौ	74 हजार
8.	कुओं का विद्युतीकरण	79838	122000
9.	उपभोक्ताओं को बिजली की उपलब्धता	30 बिलियन यूनिट	61 बिलियन यूनिट

12. विकास के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य का सकल उत्पाद प्रचलित कीमतों पर जो वर्ष 1992-93 में 26 हजार 457 करोड़ रुपये था वह बढ़कर 1997-98 के त्वरित अनुमानों के अनुसार क्रमशः 52 हजार 481 करोड़ रुपये हो गया है ।

13. वर्ष 1991-92 में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति तथा सफाई, कृषि, सिंचाई, ऊर्जा तथा सड़क पर कुल व्यय 2 हजार 513 करोड़ 36 लाख रुपये की तुलना में चालू वर्ष में 6 हजार 905 करोड़ 66 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है । हमारी सरकार द्वारा किये गये विकास का परिणाम निम्न क्षेत्रों में हुये व्यय से परिलक्षित होता है :-

(रुपये करोड़ में)

	1991–92 वास्तविक–व्यय	1998–99 आय–व्ययक अनुमान
शिक्षा	894.59	2992.49
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	300.36	747.53
जलापूर्ति तथा सफाई	329.54	973.35
कृषि	72.84	287.91
सिंचाई	381.81	1054.36
ऊर्जा	372.16	433.42
सड़क	162.06	416.60
योग	**2513.36**	**6905.66**

14. आज सम्पूर्ण एशिया आर्थिक एवं मौद्रिक संकट के दौर से गुजर रहा है । न केवल इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे राष्ट्र

जिन्हें कि विश्व के आर्थिक जगत में ''एशियन टाइगर्स'' की संज्ञा दी जाती थी, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करा आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे है, वरन् आर्थिक महाशक्ति जापान भी संकट का सामना कर रहा है । इन सबके सम्मिलित प्रभाव से सारे दक्षिण एशिया में ब्याज दरें विचलित हैं, शेयर बाजार लड़खड़ा रहे है व बेरोजगारी के साथ-साथ महंगाई भी बढ़ रही है । इन घटनाओं से हमारा देश भी अछूता नहीं रह सका है । जहां एक ओर इन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रभाव से देश के औद्योगिक उत्पादन में कमी आयी है, वहीं दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विदेशों एवं विश्व बैंक व सम्बद्ध संस्थाओं से मिलने वाली सहायता में कमी की सम्भावनाओं से यह देश के स्वाभिमान की कठिन परीक्षा का भी समय है । राष्ट्रीय स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी सरकार ने राज्य के विकास में कमी नहीं आने दी है ।

15. हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई विकास की यात्रा लम्बी रही है जिसके कुछ ही सोपान उद्धृत किये गये हैं । विकास के इन प्रयासों का ही

फल है कि आज राजस्थान की गिनती पिछड़े राज्यों के स्थान पर देश में तेजी से विकसित होने वाले 6 राज्यों में की जाने लगी है ।

16. केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक विशिष्ट दल का गठन किया गया है । इस दल से संविधान में निहित प्रावधानों के तहत उनके स्वयं के संसाधनों एवं वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा भी केन्द्र से राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियों के हस्तान्तरण हेतु सिफारिशें करने की अपेक्षा की गई है । यद्यपि इस दल ने अपनी एक अन्तरिम रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है, तथापि अन्तिम रिपोर्ट देने से पूर्व माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूँगा कि वे भी इस सम्बन्ध में अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दें, ताकि उनपर भी विचार किया जा सके । आशा है कि एक ऐसे राजनेता के, जो हमेशा से राज्यों के हितों के पोषक व उनके लिये संघर्षरत रहे हैं, नेतृत्व में विशेष कार्य दल द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरूप राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होंगी एवं उनके संसाधनों में अभिवृद्धि होगी ।

17. माननीय सदस्य इस बात से अवगत है कि केन्द्र सरकार द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की स्थापना की गई है । यह आयोग वर्ष 2000–2001 से 2004–2005 तक केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से, केन्द्र से राज्यों को गैर–आयोजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता तथा ऋण शोधन सहायता आदि के संदर्भ मे अपनी सिफारिशें देगा । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि राज्य को इस आयोग से अधिकाधिक राशि व राहत मिल सके, इस सम्बन्ध में वे अपने सुझाव दें ।

18. आज समूचे देश में सामाजिक सेवाओं के बदले लिये जाने वाले शुल्क के बढ़ते बोझ पर बहस छिड़ी हुई है । साथ ही अर्थव्यवस्था में बाजारीकरण के सिद्धान्त के बढ़ते प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में यह मांग की जा रही है कि सरकारें आयोजना व्यय व गैर–आयोजना व्यय के सम्बन्ध में मापदण्डों का पुनरवलोकन करें । मै निवेदन करूँगा कि इन विषयों पर सार्थक बहस की जाकर इस सदन में सहमति बनाई जाये ।

राजकीय व्यय में मितव्ययिता :

19. वेतनमानों व भत्तों में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में वृद्धि होना स्वाभाविक है । अतः संसाधनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये जहाँ मितव्ययिता की जा सकती है ताकि जहाँ व्यय आवश्यक है वहाँ साधनों की कमी नहीं आये । प्रशासन के आकार को सुसंगत बनाने की दृष्टि से एक ही प्रकृति का कार्य करने वाले अलग-अलग विभागों तथा उनमें परम्परागत रूप से चलती आ रही स्कीमों की उपादेयता आंक कर उनका पुनर्गठन कर अनुत्पादक व्यय में कमी करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं । विभागों को अपने अनुत्पादक व्यय में बचत करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा बचत की गई राशि का एक अंश, उनकी प्राथमिकता के क्षेत्र में व्यय करने हेतु उपलब्ध कराये जाने पर भी सरकार विचार कर रही है । यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सुनियोजित क्रम से संपादित करना होगा ।

20. राजकीय वाहनों के रख-रखाव, पैट्रोल, डीजल व वाहन चालकों के वेतन-भत्तों में काफी राशि व्यय होती है जिसे कम करना आवश्यक है । कानून व्यवस्था तथा अन्य ऐसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जहाँ राजकीय वाहनों का उपयोग आवश्यक है, अन्य क्षेत्रों में राजकीय वाहनों को आवंटित करने की व्यवस्था को समाप्त कर उसके बदले एक वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है, ताकि सरकारी वाहनों पर होने वाले व्यय को यथासंभव कम किया जा सके ।

21. राज्य सरकार ने प्रत्येक कार्य के दायित्व को अपने ऊपर लेने के दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कार्य करवाने के दृष्टिकोण व सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया है । परिसम्पत्तियों, जैसे सिंचाई की परियोजनाएं आदि, के रख-रखाव का कार्य भी उन समूहों द्वारा कराना प्रारम्भ किया गया है जो इनका उपयोग करते हैं । इससे बेहतर प्रबन्धन के साथ-साथ रख-रखाव के व्यय में भी कमी होगी ।

नवीं पंचवर्षीय योजना :

22. गत वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय नवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमान 25 हजार करोड़ रुपये के रखे गये थे। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि योजना आयोग से राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 27 हजार 650 करोड़ रुपये निर्धारित कराया गया है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना से लगभग ढ़ाई गुना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के नौ गुने से भी अधिक है ।

23. नवीं योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को दी गई है जिनके लिए 7 हजार 519 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

आर्थिक समीक्षा :

24. राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों एवं मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप राज्य में मूल्य स्थिति पर तात्कालिक एवं दूरगामी

प्रभाव पड़ते है । वर्ष 1997 के राज्य के थोक भाव सूचकांक में वर्ष 1996 की तुलना में वर्ष 1997 में 6.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई । राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहता है और इसलिए यहां की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ मानसून पर निर्भर करती है । पिछले वर्ष हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि से राज्य के कृषि उत्पाद पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

वार्षिक योजना (1998–99) :

25. राज्य के इस वर्ष के योजनागत विनियोजन के सम्बन्ध में योजना आयोग से अंतिम विचार विमर्श होना अभी शेष है । आज आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में विकास व उत्पादन बढ़ने के साथ ही अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें, जनसाधारण की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाये और राज्य की अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने हेतु एक ''ट्रिगर-इफैक्ट'' दिया जाये । इन्हीं उद्देश्यों से सरकार ने संभावित संसाधनों के आधार पर इस वर्ष की योजना का आकार चार हजार दो सौ करोड़ रुपये रखा है । इस वर्ष की योजना में सामुदायिक विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने

के अवसर, कृषि, सिंचाई, सड़क निर्माण व शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जायेगा ।

आस्तियों का संधारण :

26. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के अन्तर्गत निर्मित आस्तियों का रख-रखाव व सार-संभाल आवश्यक है ताकि इनकी उपादेयता बनी रहे व इनका क्षय नहीं हो । इन आस्तियों पर थोड़े व्यय से इन्हें बहुउपयोगी बनाया जा सकता है तथा इनसे प्राप्त होने वाले लाभ में भी वृद्धि हो सकती है । इसी मान्यता के आधार पर ऐसी सम्पत्तियों के बेहतर रख-रखाव, आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण व तकनीकी उन्नयन के लिए इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों के अन्तर्गत कुल 325 करोड़ 19 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है ।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा :

27. माननीय सदस्यगण जानते हैं कि राजस्थान की गिनती शिक्षा की दृष्टि

से पिछड़े राज्यों में की जाती रही है । इस कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार शुरू से ही प्रयत्नशील रही है । पिछले 7 वर्षों से शिक्षा के बजट को लगातार बढ़ाया जाता रहा है । जहां सातवीं योजना में शिक्षा पर 270 करोड़ 88 लाख रुपये व्यय किये गये थे वहीं आठवीं योजना में 1 हजार 40 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

28. राज्य में वर्ष 1951 में 4 हजार 336 प्राथमिक, 732 उच्च प्राथमिक एवं 175 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित थे जो बढ़कर वर्ष 1997 में 33 हजार 649 प्राथमिक, 13 हजार 115 उच्च प्राथमिक, 3 हजार 675 माध्यमिक एवं 1 हजार 572 उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गये हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1 हजार 900 प्राथमिक एवं 1 हजार 591 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 5 हजार 912 प्राथमिक एवं 2 हजार 627 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब राज्य में 250 की आबादी वाले

सामान्य क्षेत्र के सभी राजस्व गांवों में तथा 150 की आबादी वाले रेगिस्तानी व जनजाति क्षेत्र के समस्त राजस्व गांवों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है । इसी के साथ प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक के हिसाब से उच्च प्राथमिक पाठशालाऐं भी खोल दी गई हैं ।

29. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा विश्व बैंक के सहयोग से 19 जिलों में 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' नामक लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत की एक व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना भी लागू की जायेगी। प्रथम चरण में इस योजना को राज्य के 10 जिलों में प्रारम्भ किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 5 वर्षो की अवधि में लगभग 35 से 40 करोड़ रुपये प्रति जिले में निवेश होगा । इस योजना का शुभारम्भ इसी वर्ष किया जा रहा है।

30. लोक जुम्बिश परियोजना अपने तीसरे चरण (1998-2003) में 13 जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए विशिष्ट परियोजना के रूप में कार्य करती रहेगी । इसके अन्तर्गत 325 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च

प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत करने एवं 6 हजार 46 सहज शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त कम लागत के 80 छात्रावासों का संचालन भी किया जायेगा ।

31. माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एवं विस्तार किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 443 माध्यमिक, 341 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं। माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से 4 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में तथा 6 शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षा महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाकर सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं अन्य शैक्षिक उन्नयन के प्रयास किये गये हैं। संशोधित केन्द्र-प्रवर्तित क्लास परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 235 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1998-99 से कम्प्यूटर शिक्षा प्रभावी रूप से लागू करने का प्रबन्ध किया गया है । मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए हर्ष है कि इस वर्ष 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में एवं 50 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में

क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त 100 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने व 550 नवीन प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रस्ताव है ।

32. राज्य के 25 जिलों में साक्षरता कार्यक्रम, 6 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम एवं एक जिले में सतत शिक्षा कार्यक्रम विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1998-99 में 11 नवीन जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम एवं एक जिले में सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाकर नव साक्षरों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

33. सन् 2001 तक सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की हमारी योजना के अनुरूप सामान्य शिक्षा में इस वर्ष के लिए आयोजना मद में 222 करोड़ 59 लाख रुपये एवं गैर-आयोजना मद में 2 हजार 35 करोड़ 90 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ।

उच्च शिक्षा :

34. इस वर्ष कोटा तथा बीकानेर में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में दो नये

विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके साथ ही राज्य के सभी सम्भागों में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो जायेगा ।

35. वित्तीय वर्ष 1998-99 में करौली, नाथद्वारा तथा जैसलमेर में महिला महाविद्यालय प्रारम्भ किए जायेंगे तथा महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रेरित करने हेतु अलवर, कोटा, बीकानेर व भीलवाड़ा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से महिला छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा ।

36. वर्तमान में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में पन्द्रह नवीन विषय प्रारम्भ किए जाने प्रस्तावित हैं ।

तकनीकी शिक्षा :

37. राज्य में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये जा रहे हैं । तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु बीकानेर में एक अभियान्त्रिकी महाविद्यालय खोला जायेगा । पॉलिटेक्नीक विद्यालयों के

आधुनिकीकरण की महती योजना हाथ में ली गयी है । वर्ष 1998-99 में 5 अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) की स्थापना का प्रस्ताव है । इस वर्ष तकनीकी शिक्षा के लिए 63 करोड़ 11 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी :

38. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की कार्यकुशलता को बढ़ाने एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु, विशेषकर बदलते आर्थिक परिवेश एवं वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में, कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया जाएगा । हमने राज्य सरकार के पास उपलब्ध कम्प्यूटर एवं संबंधित संसाधनों की गणना कराए जाने के पश्चात् यह निर्णय लिया है कि इन संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु राज्यकर्मियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण को योजनाबद्ध रूप से अंजाम दिया जाएगा । सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के विस्तार हेतु उपयुक्त विश्लेषण के उपरान्त समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु शासन का मानस है ।

39. मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे इस बजट भाषण का इन्टरनेट पर विश्व भर में सीधा प्रसारण राज्य सरकार की ही एक संस्था ''राजकॉम्प'' द्वारा किया जा रहा है । यह देश के किसी भी राज्य द्वारा किया गया प्रथम प्रयास है ।

कृषि :

40. वर्ष 1998-99 में 198 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई कर लगभग 120 लाख टन खाद्यान्न व 35 लाख टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

41. किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़े इस दृष्टि से इस वर्ष 750 कृषि उत्पाद वितरण केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त कृषि विपणन बोर्ड एक 'मण्डी विकास निधि' का गठन कर आर्थिक रूप से कमजोर मण्डियों के विकास का कार्य इसी वर्ष हाथ में लेगा ।

42. राज्य सरकार द्वारा सिंचाई हेतु फव्वारा सेट लगाने पर अनुदान दिया जाता है । इस वर्ष भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 21 हजार नये फव्वारा सेट्स लगाने पर अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1998-99 में 2 हजार 2 सौ हैक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप संयंत्र लगाने का लक्ष्य है जबकि गतवर्ष तक कुल 3 हजार 3 सौ हैक्टेयर क्षेत्र में ही ड्रिप संयंत्र लगाये गये थे ।

43. राजस्थान से फल, सब्जियों व मसालों के बढ़ते निर्यात की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नये क्षेत्रों का समावेश किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत इस वर्ष 10 हजार हैक्टेयर फल व सब्जी के लिए एवं 25 हजार हैक्टेयर मसाले उत्पादन के लिए नये क्षेत्र समाविष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अतिरिक्त 10 हजार हैक्टेयर समस्याग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का भी प्रस्ताव है ।

44. उन्नत कृषि तथा इस क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित करने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चार मुख्य फसलों एवं एक

उद्यानिक फसल में प्रत्येक में अतिविशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रगतिशील कृषक को प्रशस्ति पत्र एवं एक लाख रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया है ।

पशु पालन :

45. राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वर्ष कृषक प्रशिक्षण शिविर और सूचना एवं विस्तार कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जायेगी । दुधारू पशुओं के विकास हेतु व्यापक कार्यक्रम बनाये जायेंगे। पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम को और बेहतर व व्यापक बनाने हेतु इस वर्ष पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गयी है । साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 25 नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित है ।

46. राज्य में दुग्ध संकलन की वृद्धि के लिए राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा दीर्घ अवधि की योजना तैयार की जा रही है। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कम से कम 2 डेयरी संयत्रों को आई.एस.ओ. 9002 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया जाना भी प्रस्तावित है ।

सहकारिता :

47. राज्य की नीतियों का प्रभाव सहकारी संस्थाओं पर अच्छा रहा है जिसके फलस्वरूप इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली में गुणात्मक सुधार हुआ है तथा लाभ अर्जन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1997-98 में पहली बार राज्य की सहकारी संस्थाओं से डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभांश राज्य सरकार को प्राप्त हुआ।

48. 'सहकारिता कल्याण व सेवा फोरम' द्वारा सहकारी संस्थाओं के लाभांश व स्वैच्छिक दान से निर्मित एक कोष की स्थापना कर सदस्यों को साक्षर बनाने तथा गंभीर बीमारियों जैसे तपेदिक और कैन्सर से ग्रसित होने पर उनके जांच व इलाज की व्यवस्था की जायेगी ।

49. सहकारी ऋण सुविधा के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को अब 36 हजार रुपये तक के फसली ऋण दिये जा रहे हैं एवं कृषक मित्र योजना के अन्तर्गत बड़े किसानों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा अब 75 हजार रुपये की

जगह एक लाख रुपये कर दी गयी है । कृषक ज्योति सहकारी ऋण वितरण योजना के अन्तर्गत अब किसानों को 5 लाख रुपये तक के ऋण कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक के प्रयोग, कृषि सहायक कार्यों, डेयरी विकास, लघु उद्योगों की स्थापना, होटल, मोटल, बच्चों की मेडिकल व इंजिनियरिंग जैसी पढ़ाई आदि के लिए उपलब्ध कराये जाने लगे हैं ।

50. किसानों को उनके उत्पाद का पूरा मूल्य प्राप्त कराने व उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष प्रायोगिक रूप से जयपुर शहर की दूरस्थ कॉलोनियों में डेयरी बूथ व्यवस्था के अनुरूप सहकारी फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था आरम्भ की जा रही है ।

विद्युत् :

51. राजस्थान में विद्युत् की उपलब्धि और मांग के अन्तर को कम करने के लिए जहां राजकीय परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किये जाने के प्रयास

किये जा रहे हैं वहीं राज्य सरकार ने नये विद्युत् गृहों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की नीति भी बनाई है ।

52. सूरतगढ़ तापीय परियोजना की प्रथम इकाई को ग्रिड के साथ 10 मई, 1998 को सिंक्रोनाइज़ कर दिया गया है और इस इकाई से कोयले पर आधारित नियमित उत्पादन शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा । इसके साथ ही सूरतगढ़ तापीय परियोजना की द्वितीय इकाई का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है और इसके दिसम्बर, 1999 में सिंक्रोनाइज होने की सम्भावना है । द्वितीय इकाई के लिए पावर फाईनेन्स कारपोरेशन से 3 सौ करोड़ रुपये का ऋण स्वीकार करा लिया गया है ।

53. सूरतगढ़ तापीय परियोजना के द्वितीय चरण में 2x250 मेगावाट उत्पादन क्षमता का एवं रामगढ़ गैस विद्युत गृह के द्वितीय चरण में 2x35.5 मेगावाट क्षमता का संयंत्र लगाने हेतु परियोजना प्रतिवेदनों को भी केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को आर्थिक एवं तकनीकी आकलन हेतु भेज दिया गया है ।

54. निजी क्षेत्र में धौलपुर की 702 मेगावाट उत्पादन क्षमता की संशोधित

परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से आर्थिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । बरसिंहसर में लिग्नाईट आधारित 500 मेगावाट विद्युत् परियोजना केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के स्तर पर विचाराधीन है ।

55. विद्युत् प्रसारण तंत्र में पर्याप्त सुधार कर बेहतर वोल्टेज पर विद्युत उपलब्ध कराने की दृष्टि से 220 के.वी. के तीन, 132 के.वी. के 8 व 33 के.वी. के लगभग 70 नये सब स्टेशन इस वर्ष में लगाये जाना प्रस्तावित है।

56. इस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 550 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 25 हजार कुओं का ऊर्जीकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । विद्युत् क्षेत्र में योजनान्तर्गत 806 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण :

57. वर्ष 1998-99 में सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण के लिए 361 करोड़ 14 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान गत वर्ष के प्रावधान से 46 प्रतिशत अधिक है । इस वर्ष में 21 हजार 200 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

58. चालू वर्ष में 25 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन परियोजनाओं के लिए 64 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त राज्य मद में पिछले वर्षो की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई बाँधों आदि सम्पत्ति की मरम्मत हेतु 40 करोड़ 49 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये हैं ।

59. शासन का संकल्प है कि पानी के प्राकृतिक बहाव में अनावश्यक अवरोध न डालते हुए इस अमूल्य प्राकृतिक वरदान का बड़े पैमाने पर सदुपयोग करने के लिए ग्रामीण काश्तकारों के सुझावों व प्रस्तावों पर लघु सिंचाई हेतु खडीन तथा एनीकट आदि के निर्माण कार्य हाथ में लिये जायें । इस विषय में जो भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनका प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया जायेगा ।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना :

60. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य को और त्वरित करने की दृष्टि से इस वर्ष 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया

है । नहर के प्रथम चरण में 1 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है । दूसरे चरण में 68 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वितरक नहरें बनाकर 49 हजार हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित की जायेगी । इस प्रकार कुल 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित की जायेगी ।

सिंचित क्षेत्र विकास :

61. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना तथा चम्बल परियोजना क्षेत्रों में भूमि सुधार कार्यो, खालों के निर्माण तथा कैचमेंट विकास हेतु राजस्थान भूमि विकास निगम के माध्यम से काश्तकारों को बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाये गए थे । कई कारणों से वे इसका चुकारा नहीं कर पाये । ऐसे ऋणों का चुकारा राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु पूर्व में 6 बैंकों के साथ समझौते सम्पादित किये जा चुके हैं । शेष 5 बैंकों के साथ समझौते सम्पादित किये जाकर इन बैंकों को देय राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

62. परियोजना क्षेत्रों में वर्ष 1974 से 1982 की अवधि के दौरान कुछ किसानों ने बैंकों से सीधे ही ऋण प्राप्त किये थे । इन ऋणों के काश्तकारों द्वारा लिये जाने की वास्तविकता सहित ऋणों के दस्तावेजों व बंधक पत्रों सम्बन्धी समस्यायें थीं । भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में बंधक पत्रों के कारण काश्तकारों को ज़मीन से बेदखल होने की आशंका सहित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था । वर्तमान में 21 हजार 617 किसानों के विरूद्ध बैंकों के ऋणों के लगभग 42 करोड़ 62 लाख रुपये मूलधन एवं ब्याज के बकाया हैं । ऐसे प्रकरणों में किसानों को राहत देने हेतु राज्य सरकार ने बैंकों से चुकारे बाबत समझौते के आधार पर राज्य सहायता देकर प्रकरण को निबटाने का निर्णय लिया है ।

63. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास के अन्तर्गत इस वर्ष 60 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य करवाये जायेंगे तथा पेयजल हेतु 20 डिग्गियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । इन कार्यों के लिए 67 करोड़ 68 लाख 69 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है ।

64. चम्बल परियोजना हेतु वर्ष 1998-99 में 18 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें से 9 करोड़ 50 लाख रुपये रजाद (RAJAD) परियोजना हेतु रखे गये हैं। चम्बल परियोजना क्षेत्र में 2 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य करवाये जायेंगे ।

65. माही परियोजना में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु इस वर्ष 1 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 1 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में कच्चे धोरों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

66. पानी के उचित उपयोग व नहरों के रख-रखाव हेतु किसानों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है । सिंचाई में जन-सहभागिता प्रबन्धन हेतु 1 करोड़ 94 लाख 81 हजार रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

सहायता :

67. जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, गत वर्ष गंगानगर जिले में कपास की फसल को बीमारी से काफी नुकसान हुआ था । इसी प्रकार राज्य

के कई जिलों में ओलावृष्टि से भी किसानों को भारी क्षति हुई थी । केन्द्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा राहत कोष नियमों में इस हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को ही सहायता दिये जाने का प्रावधान होने के कारण राज्य सरकार ने भारत सरकार को मापदण्डों में संशोधन कर अन्य प्रभावित काश्तकारों को भी सहायता देने हेतु ज्ञापन भेजा है । यदि भारत सरकार सहायता नियमों में शिथिलता नहीं करती है तो राज्य सरकार उक्त प्राकृतिक आपदा राहत का भुगतान अपने कोष से करेगी और प्रभावित किसानों को राहत देने में नियमों को आड़े नहीं आने देगी । इस संदर्भ में 15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने का निर्णय किया गया है ।

सड़क निर्माण :

68. राज्य में औद्योगिक एवं खनिज विकास के फलस्वरूप सड़कों पर यातायात का दवाब बढ़ता जा रहा है । राज्य के सड़क तन्त्र को और विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 1998-99 में 257 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिससे लगभग 3 हजार 400 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किये

जाने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 80 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 96 करोड़ रुपये व्यय कर संपर्क सड़कें बनवाये जाने का भी प्रस्ताव है। माननीय सदस्यों की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए जयपुर शहर में निर्माणाधीन ओवर ब्रिजों (Rail-Road Over Bridges) को इसी वर्ष त्वरित गति से पूर्ण करने हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है ।

69. नवीन सड़कों का निर्माण करवाकर इस वर्ष 1 हजार 50 और गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा । साथ ही निर्मित हुई सड़कों के संधारण, मरम्मत व रख रखाव हेतु इस वर्ष 90 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो सामग्री पर ही व्यय किया जायेगा ।

70. राज्य के विकास कार्यो हेतु किसानों की भूमि अवाप्त की जाती है। कभी कभी किसानों को उनसे अवाप्त भूमि का मुआवजा समय पर नहीं मिल पाता है । विश्व बैंक द्वारा पोषित कृषि विकास परियोजना के तहत सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु इस वर्ष

13 करोड़ 46 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है । इससे अवाप्त की गई भूमि का काश्तकारों को पूरा भुगतान शीघ्र ही किया जा सकेगा ।

विशिष्ट योजनाएं एवं ग्रामीण विकास :

71. राज्य सरकार ने 'ग्राम स्वराज' की परिकल्पना को साकार रूप देने के उद्देश्य से गाँवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, ग्रामीण अंचलों में जन सुविधाओं का विस्तार किया है, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाये हैं एवं गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया है । इसी उद्देश्य से जहां आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा 2 हजार 338 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं वहीं नवीं पंचवर्षीय योजना में 3 हजार 882 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ।

72. ग्रामीण विकास के लिए निर्माण कार्यों का गुणात्मक निरीक्षण तथा मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुस्पष्ट किया गया है । अधिकाधिक

कार्य ग्रामीण जनों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों के माध्यम से बिना किसी तकनीकी उलझन के निष्पादित हों इसकी व्यवस्था की गई है ।

73. मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो कि राज्य के अलवर एवं भरतपुर जिलों में चलाया जा रहा है, के तहत इस वर्ष 2 करोड़ 90 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है । यह गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 1 करोड़ 62 लाख रुपये अधिक है ।

74. इसी प्रकार राज्य के आठ जिलों में डाँग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके तहत इस वर्ष 7 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 5 करोड़ 25 लाख रुपये अधिक है ।

75. स्थानीय समुदाय की इच्छानुरूप सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन में 'अपना गाँव अपना काम' योजना की लोकप्रियता को देखते हुए चालू वर्ष में पिछले वर्ष के प्रावधान को डेढ़गुना बढ़ाकर 34 करोड़ रुपये किया गया है। विगत वर्षों में सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव की समस्या के निवारण के लिए इस योजना में अलग से प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।

76. ट्राईसम योजनान्तर्गत 10 हजार बेरोजगार नवयुवकों को प्रशिक्षित कराने एवं उन्हें रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है । ग्रामीण दस्तकारों की दक्षता में वृद्धि किये जाने हेतु 7 हजार दस्तकारों को उन्नत औजार भी इस वर्ष उपलब्ध कराये जायेंगे ।

77. ग्रामीण क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना एवं आश्वासित रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत गत वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये व्यय किये जाकर कुल 4 करोड़ 50 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया । इस वर्ष इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 393 करोड़ रुपये का विनियोजन कर 8 करोड़ 45 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अतिरिक्त जलग्रहण विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम भी व्यापक पैमाने पर हाथ में लिया गया है जिससे पानी की अमूल्य धरोहर को क्षय से बचाते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से 2 हजार 255 जलग्रहण विकास परियोजनाएं क्रियान्वित कराई जा रही हैं ।

78. माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि विकास कार्यो में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने जन सामान्य को विकास कार्यो में व्यय के निरीक्षण का अधिकार दिया है ।

79. राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजना समितियों का गठन किया जा चुका है जो जिले में नव निर्माण कार्यो, विभागों में समन्वय, ग्रामीण स्वास्थ्य विकास, पर्यावरण व्यवस्था एवं उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु योजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करेंगी ।

80. राज्य सरकार ने जिला प्रमुखों, प्रधानों व सरपंचों को प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय को बढ़ा कर क्रमशः 3 हजार रुपये, 2 हजार रुपये व 400 रुपये किया है । बैठक भत्ते की दरों में भी संशोधन किया गया है ।

आवास

81. वर्षो से सरकार द्वारा आवास सम्बन्धी समस्या के निवारण हेतु प्रयत्न किये जाते रहे हैं । परन्तु राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभी भी उचित

आवास उपलब्ध न होने की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है । तत्सम्बन्धी राष्ट्रीय एजेन्डा के अन्तर्गत सरकार राज्य में आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इस वर्ष 1 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण की लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवास वित्त संस्थानों, केन्द्र सरकार की सहायता तथा अपने संसाधनों से इस हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रबन्ध करेगी ।

82. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के भूमिहीन परिवारों, ग्रामीण कारीगरों व दस्तकारों आदि के परिवार, जो स्थायी रूप से गाँव में निवास कर रहे हों एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों, के 50 हजार परिवारों को इस वित्तीय वर्ष में रियायती दरों पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । उक्त आवंटित भू-खण्डों पर आवासीय भवन के निर्माण हेतु इस वर्ष 30 हजार परिवारों को 5 हजार 2 सौ रुपये प्रति इकाई की दर से अनुदान उपलब्ध कराकर उनके लिये आवास निर्माण कराने की महती योजना हाथ में लेने का संकल्प है । मैं इस प्रयोजनार्थ 15 करोड़ 60 लाख रुपये राज्य मद से व्यय किये जाना प्रस्तावित करता हूँ।

83. आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वित्तीय वर्ष में एक नई योजना हाथ में ली जा रही है, जिसके तहत 'पाइलट' आधार पर प्रत्येक जिले की दो-दो पंचायत समितियों के दो-दो चयनित गाँवों में सुनियोजित आवासीय भू-खण्डों का विकास कर बुनियादी सुविधाऐं उपलब्ध कराई जायेंगी ।

वन :

84. वर्ष 1998-99 में राज्य में वनों के विकास के लिए योजनान्तर्गत 121 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । इस वर्ष लगभग 63 हजार 5 सौ हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा ।

85. वर्ष 1998-99 में मरुस्थल के विस्तार की रोकथाम हेतु एक नवीन योजना प्रारम्भ की जायेगी जिस पर लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

पेयजल :

86. राज्य में पेयजल की आपूर्ति सुविधाओं के विकास हेतु योजनान्तर्गत 352 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

87. राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए 24 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने की महती योजना हाथ में ली गई है । यह योजना दो वर्षों में पूर्ण की जायेगी । इस हेतु 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।

88. चूरू तथा झुन्झुनू जिलों के खारे पानी से ग्रसित 168 गाँवों तथा चूरू, रतनगढ़ एवं बिसाऊ शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा चूरू-बिसाऊ परियोजना स्वीकृत की गयी है । इस योजना की अनुमानित लागत 119 करोड़ 5 लाख रुपये है जिसमें राज्य सरकार का 25 प्रतिशत योगदान निर्धारित किया गया है । बजट में इस योजना के लिए इस वर्ष 2 करोड़ 68 लाख 70 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है ।

89. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जोधपुर लिफ्ट

कैनाल से जोधपुर शहर के लिए पानी की आपूर्ति होने लग गई है व जोधपुर में जहां पहले 48 घण्टे में एक बार पानी मिलता था वहां अब प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराये जाने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

90. इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में 4 हजार 800 नये ग्रामों एवं ढ़ाणियों तथा 7 सौ आंशिक रूप से लाभान्वित ग्रामों एवं ढ़ाणियों को पूर्णतया पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पूर्व में चल रही पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने, उनका संवर्धन करने तथा नयी योजनाओं का कार्य आरम्भ करने हेतु 53 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ तथा परिवार कल्याण :

91. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण हेतु इस वर्ष 792 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । मौसमी बीमारियों एवं प्राकृतिक आपदाओं के लिए 2 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।

92. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की चिकित्सा संस्थाओं के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण हेतु एवं उन्हें उपकरण आदि उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष 12 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

93. कोटा शहर में इस वर्ष एक 'सेटेलाईट अस्पताल' खोला जायेगा । राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 10 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 67 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ।

94. अन्धता निवारण हेतु इस वर्ष 1 करोड़ 63 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । अन्धता निवारण हेतु विश्व बैंक की सहायता से चलाये जा रहे 'केटरेक्ट ब्लाइन्डनेस प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत 87 ऑपरेशन थियेटर, 20 बिस्तर वाले 70 वार्ड तथा 296 डार्क रूम अगले तीन वर्षों में बनाये जायेंगे । इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंचायत समिति में 3 नेत्र शिविरों का प्रतिवर्ष आयोजन किया जा रहा है ।

95. नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं लैब तकनीशियनों के 15 सौ पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियाँ की जायेंगी ।

96. इस वर्ष 'प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना' नाम से परिवार कल्याण व बाल स्वास्थ्य की एक महती योजना 18 जिलो में प्रारम्भ की जायेगी ।

97. इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में 25 आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र भी खोले जाना प्रस्तावित है ।

महिला एवं बाल विकास :

98. किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सफाई, पोषण तथा व्यक्तित्व विकास के लिए गत वर्ष किशोर बालिका योजना 'लाडली' 15 जिलों में चलाई गई थी । योजना के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस वर्ष इसे सभी जिलों में प्रारम्भ किया जायेगा तथा इसके लिए 1 करोड़ 37 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

99. राज्य में बाल विकास हेतु वर्ष 1998-99 में 18 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है । आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में 202 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ 10 लाख रुपये एवं 5 हजार आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार सुरक्षित

रूप से रखने के लिए भंडारण हेतु उपकरण (स्टोरेज कन्टेनर) उपलब्ध कराने के लिए 35 लाख रुपये का प्रावधान सम्मिलित है ।

100. महिलाओं में तकनीकी शिक्षा के विकास के सतत प्रयास किये जा रहे है । इसी क्रम में पॉलिटेक्नीक महाविद्यालयों में स्व-पोषित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में महिलाओं के प्रवेश लेने पर उनके द्वारा भुगतान की गई फीस का 50 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाना प्रस्तावित है ।

101. समाज में विवाहोत्सव आदि पर दिखावटी व्यय तथा बाल विवाह प्रथा को हतोत्साहित करने की दृष्टि से सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने आर्थिक अनुदान देने की योजना दो वर्ष पूर्व लागू की थी। इसके अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम 25 जोड़ों की सीमा को घटा कर 10 किये जाने का प्रस्ताव है । आयोजकों को कम से कम 10 हजार रुपये व अधिकतम 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी ।

समाज कल्याण :

102. चालू वर्ष में 5 करोड़ रुपये की लागत से अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए 50 नवीन छात्रावास भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त 50 नये छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव है जिनके माध्यम से 1 हजार 250 छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल गृहों में रहने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को विभाग के आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ।

103. अनुसूचित जातियों के निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए जर्मन सहयोग से राज्य में 12 नये आवासीय विद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया था, इसी क्रम में चालू वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ 14 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

104. प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु चालू वर्ष में 10 नवीन देखभाल केन्द्र

स्थापित किये जायेंगे । पोलियो-ग्रस्त विकलांगों हेतु 'पोलियो करक्शन कैम्प' आयोजित किये जायेंगे । वाणी दोष के उपचार हेतु राज्य सरकार द्वारा स्पीच थैरेपी सेंटर की स्थापना भी की जायेगी ।

105. गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विकलांगों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। विकलांगों को स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम अंग व सहायता उपकरण उपलब्ध कराने हेतु एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिये जाने के लिये चालू वर्ष में 3 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।

106. विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रह रहे छात्र/छात्राओं को देय भोजन, वस्त्र इत्यादि के भत्ते को 350 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र किया जाना प्रस्तावित है ताकि उन्हें बेहतर सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें तथा वे अपना भविष्य सुधारने हेतु अधिक सक्षम बन सकें । इस हेतु इस वर्ष 1 करोड़ 60 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है । इसी प्रकार विभाग द्वारा संचालित अटरू व टोंक के दो

आवासीय विद्यालयों में रह रहे छात्र/छात्राओं को और बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 5 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

107. वर्तमान में निराश्रित, विधवा, अपंग, दृष्टिहीन व अपाहिज व्यक्तियों को 100 रुपये मासिक पेंशन देय है । मैं इस राशि को बढ़ाकर 125 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित करता हूँ । इससे लगभग 75 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे ।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

108. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अधिक रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से स्थानीय जनजाति के आशार्थियों हेतु सभी विभागों के 1 से 6 तक की वेतन शृंखला के पदों तथा ग्राम सेवकों के पदों में आरक्षण बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है । इससे स्थानीय जनजाति के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा राजकीय सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा ।

109. इस वर्ष जनजाति क्षेत्र में 4 आवासीय विद्यालयों का निर्माण आबूरोड (सिरोही), कोटड़ा (उदयपुर), कुशलगढ़ (बाँसवाड़ा) एवं शाहबाद (बारॉं) में किया जायेगा । इसके लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

110. राज्य में कथोड़ी एवं सहरिया आदिम जातियां निवास करती है । ये अत्यंत पिछड़ी हुई जातियां हैं एवं इनमें शिक्षा का स्तर भी निम्न है । राज्य सरकार, कथोड़ी व सहरिया जाति के प्रत्येक छात्र के राज्य के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर उसका सम्पूर्ण व्यय वहन करेगी । इन जातियों के स्कूल में जाने वाले प्रत्येक छात्र के माता-पिता को 100 रुपये प्रतिमाह उपस्थिति भत्ता दिये जाने तथा बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रस्ताव है ।

111. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में नवीं कक्षा एवं इससे आगे पढ़ने वाले छात्रों को जो किराये के मकान में रहकर अध्ययन करते हैं, मकान किराये की मिलने वाली राशि 75 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है ।

112. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु 450 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने तथा अन्य छात्राओं को 350 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है । यह सहायता राशि अन्य देय लाभों के अतिरिक्त दी जायेगी ।

113. जनजाति उपयोजना एवं सहरिया जाति क्षेत्र में 'स्वच्छ' परियोजना के माध्यम से तपेदिक एवं फ्लोरोसिस नियन्त्रण हेतु क्रमश: 60 लाख व 25 लाख रूपयों का प्रावधान किया गया है ।

उद्योग :

114. राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिये आकर्षित करने तथा इसमें आ रही अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से इस वर्ष नई औद्योगिक नीति जारी की गई है । नई औद्योगिक नीति के माध्यम से हमारा प्रयास है कि लघु उद्यमियों एवं दस्तकारों को बढ़ावा मिले तथा ग्रामीण क्षेत्र में भी नये उद्योगों के माध्यम से रोजगार

के अधिक अवसर उपलब्ध हों । इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के द्वारा पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है ।

115. राज्य में निर्यात की दीर्घकालीन वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संस्थागत वित्त के माध्यम से 35 करोड़ रुपये लागत के कन्टेनरों के शीघ्र परिवहन हेतु रोड-रेलर (Road-Railer) परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

116. हथ-कर्घा क्षेत्र में अधिकाधिक बुनकरों को रोजगार देने के उद्देश्य से इस वर्ष हथ-कर्घा विकास निगम को 3 करोड़ 50 लाख रुपये दिया जाना प्रस्तावित है । इससे करीब 5 हजार बुनकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे ।

117. भिवाड़ी में 55 करोड़ 34 लाख रुपये की लागत से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इसी प्रकार राज्य में उपलब्ध मार्बल, ग्रेनाईट आदि इमारती पत्थर के खनन, प्रोसेसिंग एवं विपणन में तकनीकी विकास हेतु रीको एवं ऑल इण्डिया ग्रेनाईट एण्ड स्टोन एसोसियेशन के सहयोग से एक सेंटर फार डवलपमेंट आफ स्टोन्स की स्थापना

हेतु विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है जिसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपये होगी। इस वर्ष इस हेतु 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

118. महिला उद्यमियों को शीघ्र ऋण सुविधा उपलब्ध कराने एवं परियोजना संबंधी जानकारी देने हेतु राजस्थान वित्त निगम में महिला उद्यम निधि प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है । राज्य में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से गृह उद्योग योजना प्रारम्भ की गई है ।

119. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को 50 हजार रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं में 20 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण व अधिकतम 6 हजार रुपये तक का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वित्त निगम तथा राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम के संयुक्त तत्वाधान में एक नई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

खनिज :

120. खनन की दृष्टि से राजस्थान का देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में अनेक धात्विक खनिज, इमारती पत्थर तथा औद्योगिक उपयोग के खनिज उपलब्ध है जिनकी खोज एवं दोहन के कार्य में राज्य ने आशातीत प्रगति की है ।

121. माननीय सदस्यों को मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने राज्य के कर ढ़ांचे में सुधार लाने का कार्यक्रम हाथ में लिया था। इसी क्रम में 1 अप्रैल, 1998 से खनन पट्टों के अधिशुल्क की स्व-निर्धारण योजना लागू कर दी गयी है । सरकार ने 31 मार्च, 1996 तक की स्थिर भाटक (Dead rent) आदि की बकाया पर देय ब्याज व शास्ति की राशि को इस शर्त पर माफ करने का भी निर्णय लिया है कि बाकीदार 30 सितम्बर, 1998 तक बकाया की मूल राशि जमा करा देंगे ।

122. राज्य की मारबल व ग्रेनाईट नीतियों का भी पुनरवलोकन किया जाकर उन्हें अधिक सरल व विकासोन्मुखी बनाये जाने के प्रयास किये गये हैं ।

123. राज्य में प्राकृतिक गैस एवं तेल की खोज को प्रगति देने हेतु एक पृथक पैट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई है । मैसर्स शैल इन्टरनेशनल द्वारा राज्य में बाड़मेर एवं सांचौर क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज हेतु 10 हजार 556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। मैसर्स एस.आर. ऑयल लिमिटेड द्वारा बीकानेर, नागौर और चूरू जिलों में 32 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज हेतु कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

124. पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है । पर्यटन के क्षेत्र में उद्यमियों को उद्योगों के बराबर सुविधाएं एवं रियायतें दिए जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर इस वर्ष में पर्यटन नीति घोषित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों आदि को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता अनुदान योजना लागू करना व पर्यटन इकाइयां स्थापित करने के लिए उन्हें औद्योगिक इकाइयों के समान

ही रियायती दरों पर एवं सुगमता से भूमि आवंटित करने एवं सम्परिवर्तित करने हेतु ग्रामीण कृषि एवं नगरीय कृषि भूमि नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

125. हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन की विपुल सम्भावनाओं को देखते हुए हाड़ौती पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।

126. चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़ और जैसलमेर किलों के भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से संरक्षण हेतु कार्यवाही की जायेगी । जोधपुर के मण्डोर बाग में स्थित देवलों तथा बाड़मेर जिले में स्थित प्रसिद्ध किराडू के मंदिरों का संरक्षण तथा विकास कार्य किया जायेगा ।

127. सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारक, पुरावशेष, मूर्तिकला, हस्तकला, चित्रकला एवं हस्तलिखित ग्रन्थों, लोक कला आदि का भारत एवं विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्ष 1998-99 में 9 करोड़ 51 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है ।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास :

128. शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए शहरों के नियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान बनाने का कार्यक्रम तेजी से हाथ में लिया जायेगा। वर्ष 1998-99 में 8 शहरों को चिन्हित किया जाकर इनके नियोजित विकास के प्रयास किये जायेंगे । वर्ष 1998-99 में भरतपुर, सीकर, पाली एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में नगर नियोजन कार्यालय खोले जायेंगे।

129. नगर पालिकाओं को कच्ची बस्तियों के विकास हेतु 10 करोड़ 48 लाख रुपये तथा मूलभूत सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ 79 लाख रुपये सहभागिता के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष प्रावधान रखा गया है। नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को हाथ में लेने के प्रति बढ़ते उत्साह को देखते हुये मैं नगर सहभागिता योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 35 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ ।

130. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना पर इस वर्ष 40 करोड़ रुपये व्यय किये जाना प्रस्तावित है जिसमें 10 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य सरकार

का होगा तथा शेष राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी ।

131. शहरी स्वायत्तशासी निकायों के पार्षदों द्वारा अपने वार्ड्स एवं नगर की समस्याओं के प्रभावी ढंग से निपटाये जाने एवं कार्यों में गति लाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पार्षदों को साधारण सभा व समितियों की बैठकों में भाग लेने एवं दूरभाष व्यय आदि के लिये मानदेय स्वीकृत किया जाए । मानदेय की राशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आदेश कर दिये गये हैं ।

चुंगी :

132. राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं के प्रति हमेशा चिन्तित रही है । चुँगी से यातायात व व्यापार के अबाधित रूप से संचालन में होने वाली कठिनाइयाँ व चुँगी वसूली में होने वाली अन्य व्यावहारिक परेशानियों को देखते हुए लम्बे अर्से से चुँगी समाप्ति पर विचार किया जाता रहा है । समय-समय पर इस व्यवस्था में सुधार लाने हेतु समितियाँ भी गठित की गई थीं । राज्य सरकार ने चुँगी समाप्ति बाबत आश्वासन भी दिया था ।

133. अतः चुँगी की वर्तमान व्यवस्था से होने वाली कठिनाइयों से राहत दिलवाने के मंतव्य से सरकार राज्य भर में 1 अगस्त, 1998 से चुँगी समाप्त करने की घोषणा करती है ।

134. चुँगी से नगरपालिकाओं को वर्तमान में लगभग 280 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है । अतः चुँगी समाप्ति से होने वाली आय में कमी की राशि के पुनर्भरण का दायित्व सरकार लेती है । इस दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाए, इस पर नगरपालिकाओं से चर्चा किया जाना प्रस्तावित है । साथ ही, पुनर्भरण के लिए क्या उपाय किए जाएं, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करता हूँ ।

786वाँ उर्स :

135. अजमेर शरीफ में माह अक्टूबर, 1998 में आयोजित होने वाले ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के 786वें उर्स में सम्मिलित होने वाले देश विदेश के जायरीनों को कोई परेशानी नहीं हो इस दृष्टि से उर्स की समुचित व्यवस्थाओं

व विकास कार्यों को सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्थानीय निकायों, चिकित्सा विभाग व अन्य विभागों को 16 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

राजस्व प्रशासन :

136. राजस्व प्रशासन को सुसंचालित व सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भनोत समिति की सिफारिशों के अनुरूप इस वर्ष 2 अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय, 2 उपखण्ड कार्यालय, 12 सहायक जिला कलेक्टर न्यायालय, 1 तहसील व 16 उप तहसीलें नई खोली जायेंगी । इसके साथ ही 2 सहायक जिला कलेक्टर कार्यालयों को उपखण्ड कार्यालयों में तथा 9 उप तहसील कार्यालयों को तहसील कार्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त 100 पटवार सर्किल व 50 भू-राजस्व सर्किल और खोले जायेंगे । राजस्व रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी प्रत्येक जिले में किया जा रहा है ताकि काश्तकारों को जमाबन्दी एवं राजस्व लेखों की प्रतियाँ शीघ्र प्राप्त हो सकें ।

137. समय-समय पर राज्य में विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन, उन्नयन तथा नये जिलों, तहसीलों आदि के सृजन की माँग उठती रही है । पिछले वर्षों में शासन ने इस संबंध में कतिपय कदम भी उठाये हैं । राजस्व प्रशासनिक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण, विकेन्द्रीकरण, उन्नयन एवं उनके पुनर्गठन संबंधित प्रस्तावों पर गहन विचार कर अपनी सिफारिशें देने हेतु एक आयोग के गठन करने का निर्णय लिया गया है ।

138. ग्रामीण जनता की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु एक अभियान चलाने का कार्यक्रम तय किया गया था जो पिछले माह अत्यधिक गर्मी के कारण स्थगित करना पड़ा । अब यह अभियान 20 अगस्त, 1998 से 20 सितम्बर, 1998 की अवधि में आयोजित किया जायेगा । इस अभियान में नामान्तरकरण खोल कर तस्दीक करने, गैर खातेदार कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (2) के अन्तर्गत कृषि जोतों के विभाजन के मामलों का निपटारा करने, पास बुकों को आदिनांक कर कृषकों को वितरित करने, राजकीय कृषि भूमि पर अतिक्रमणों

का नियमन करने, अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि का संपरिवर्तन करने, राजकीय भूमि का आबादी एवं जनोपयोगी प्रयोजनार्थ भूआवंटन करने के अलावा निराश्रित वृद्धों के पेंशन प्रकरण तैयार करवाने, विकलांगों को पेंशन तथा सहायता उपकरण दिलवाने, आवासीय योजना हेतु स्वीकृति जारी करने, विभिन्न आर्थिक प्रवृत्तियों हेतु ऋण आवेदन पत्र तैयार कराने आदि के कार्य कराये जायेंगे तथा कूओं आदि के निर्माण सम्बन्धी प्रकरणों एवं ग्रामीणों की अन्य समस्याओं का तुरन्त मौके पर ही समाधान किया जायेगा । सरकार समस्त जन प्रतिनिधियों से यह निवेदन करती है कि वे अपना पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान कर इस अभियान को सफल बनायें ।

139. राज्य के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हुआ है । यद्यपि कतिपय सहकारी समितियों, समूहों एवं संस्थानों द्वारा इस प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएँ भी की गई हैं फिर भी, जनसामान्य के हितार्थ जिसमें उनकी जीवन भर की गई बचत का बड़ा भाग

निवेशित हो चुका है तथा जिससे जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता - आवास की पूर्ति हो सकेगी - को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रक्रियात्मक अड़चनों को दूर कर समस्त कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये एक सरलीकृत एवं सुविधाजनक भूमि रूपान्तरण प्रणाली लागू की जाये जिससे नगरीय क्षेत्रों में वर्षो से चली आ रही इस जटिल समस्या का निराकरण हो सके । तत्सम्बन्धी आदेश जारी कर इस प्रक्रिया को अविलम्ब प्रारम्भ किया जायेगा तथा सभी के सहयोग से दीपावली के पूर्व इस कार्यक्रम को सम्पन्न कराने का प्रयास किया जायेगा ।

न्याय एवं कानून व व्यवस्था :

140. लंबित वादों का त्वरित निपटारा करने के उद्देश्य से इस वर्ष 30 विभिन्न नये न्यायालय खोले जाना तथा न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।

141. बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से सरकार चिंतित है और इन्हें रोकने के लिये परिवहन क्षेत्र में कई प्रयास किये गये हैं । इन प्रयासों के तहत प्रदेश के समस्त प्रादेशिक व जिला परिवहन मुख्यालयों पर कार्यालय भवन व ड्राईविंग ट्रैक निर्मित किये जा रहे हैं जिससे आम नागरिक को यातायात नियमों की जानकारी दी जा सकेगी तथा चालक लाईसेंस के आवेदकों का मापदण्डों के अनुसार परीक्षण संभव हो सकेगा । इस कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है । जयपुर स्थित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जहाँ कम्प्यूटरीकरण हो चुका है, की तरह अन्य सभी प्रादेशिक परिवहन मुख्यालयों पर चालक लाईसेंस, वाहनों के पंजीयन, जमा करायी गयी राशि की रसीदों तथा फिटनेस के कार्यों को इस वर्ष कम्प्यूटर से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

142. राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिलों के पुलिस बल का पुनर्गठन किया गया है। विभिन्न संवर्गों के 6 हजार 456 पद सृजित किये गये हैं तथा जिला पुलिस को अधिक सक्षम बनाने हेतु आवश्यक वाहन एवं संचार उपकरण उपलब्ध

कराये गये हैं । पुलिस के आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण की योजना की क्रियान्विति हेतु इस वर्ष में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

143. पुलिस बल को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने एवं पुलिस स्टेशन भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने 'आवास एवं नगर विकास लिमिटेड' (HUDCO) के सहयोग से 600 करोड़ रुपये की महती परियोजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 156 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न श्रेणियों के आवासीय भवन निर्मित किये जायेंगे । यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

सैनिक परिवार कल्याण :

144. द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को वर्तमान में 100 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दी जा रही है, इस राशि को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह किये जाने का प्रस्ताव है ।

145. शूरवीरों की धरती राजस्थान का राष्ट्र की सुरक्षा में हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है । राजस्थान के रहनेवाले सेना अथवा केन्द्रीय पैरा मिलिट्री सेवाओं के सदस्यों के देश में कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था कार्यवाही (action) के दौरान शहीद होने पर, उनके परिवार को राज्य सरकार की ओर से 300 रुपये मासिक की सम्मान सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सहायता केन्द्र सरकार से मिलने वाली पेंशन के अतिरिक्त होगी । वर्तमान में लगभग 12 सौ ऐसे परिवार हैं जो इस निर्णय से लाभान्वित होंगे ।

कोष प्रशासन :

146. वित्तीय प्रबन्धन में कोष कार्यालयों की भूमिका से माननीय सदस्य परिचित हैं। वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को कोष कार्यालयों के विकेन्द्रीकरण और आधुनिकीकरण के सुझाव दिए थे । इन्हीं सुझावों की क्रमशः क्रियान्विति की कड़ी में बिलाड़ा, शेरगढ़ (जिला-जोधपुर), धरियावद (जिला-उदयपुर), शाहपुरा (जिला-जयपुर), बागीडोरा (जिला-बांसवाड़ा), देसूरी (जिला-पाली) व मकराना (जिला-नागौर) तहसीलों में स्वतन्त्र उपकोषों की स्थापना इस वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

147. कोष नियमावली, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय व लेखा नियमों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से तैयार कर जारी किया जाना प्रस्तावित है ताकि वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन बनाये रखा जा सके।

148. राज्य के कोषालयों को चरणबद्ध रूप में कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है । गत वर्ष 32 कोष कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। इस वर्ष में शेष 6 कोष कार्यालयों व क्षेत्रीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है । वर्ष 1999-2000 तक राज्य के सभी कोष कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, मुख्यालय और स्वतन्त्र उपकोषों को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है । इस उद्देश्य हेतु इस वर्ष 1 करोड़ 2 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

स्वतंत्रता सेनानी सम्मान राशि :

149. स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य में वर्षभर अनेक कार्यक्रम यथा निबंध प्रतियोगिता, भाषण व सम्मान समारोह आयोजित किये

गये। सूचना केन्द्र, जयपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी कक्ष के निर्माण व स्थापना का शुभारम्भ किया गया । देश को आजादी दिलाकर एक समतापरक समाज के विकास के द्वार खोलने के लिए किये गये संघर्ष में स्वतन्त्रता सेनानियों के विशिष्ट योगदान को याद करते हुये कृतज्ञ राज्य ने स्वर्ण जयन्ती वर्ष के अवसर पर स्वतन्त्रता सेनानियों को वर्तमान में मिल रही सात सौ रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। तदनुसार ही अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है ।

कर्मचारी कल्याण :

150. राज्य कर्मचारियों को 1 सितम्बर, 1996 से संशोधित वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं । अन्य भत्तों की दरों में 1 जनवरी, 1998 से केन्द्र सरकार के अनुसार संशोधन किये गये हैं । संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने के फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व कनिष्ठ लिपिक को न्यूनतम वेतन पर 1 जनवरी, 1997 से लगभग 430 रुपये प्रतिमाह, कनिष्ठ लेखाकार व कार्यालय सहायक को लगभग 1 हजार 240 रुपये प्रतिमाह व प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को

लगभग 2 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन में बढ़ोतरी प्राप्त हुई है । मकान किराया भत्ते की भी गणना विभिन्न शहरों व कस्बों में वेतन के 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत व 5 प्रतिशत की दर से की जाने लगी है जिसके परिणाम-स्वरूप न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी को भी लगभग 100 रुपये से 225 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त लाभ हुआ है ।

151. कर्मचारियों को राजकीय आवास उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों में 1 हजार 863 आवास व ट्रांजिट फ्लेट्स का निर्माण किया जायेगा, जिसके लिए चालू वर्ष में 13 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

152. राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन व अन्य परिलाभों में, केन्द्र सरकार द्वारा किये गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किये हैं। न्यूनतम पेंशन 1 हजार 275 रुपये प्रति माह व ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 3 लाख 50 हजार रुपये कर दी गई है। पारिवारिक पेंशन की राशि अन्तिम वेतन का 30 प्रतिशत की गई है ।

153. दिनांक 1 सितम्बर, 1996 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को देय मासिक पेंशन में भी केन्द्र सरकार के अनुरूप ही संशोधन किया गया है ।

154. कर्मचारियों को संशोधित वेतन, भत्ते व पेंशन भुगतान के परिणामस्वरूप राजकीय कोष पर लगभग 1 हजार 255 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार होने का अनुमान है । चालू वर्ष में एरियर आदि के भुगतान के कारण यह राशि लगभग 2 हजार करोड़ रुपये होना सम्भावित है ।

155. राज्य के पेंशनरों को देय चिकित्सा सुविधाओं में भी विस्तार किया गया है । एक वर्ष में पेंशनर सामान्य रूप से 2 हजार रुपये तक की दवायें निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे । इस सीमा में आवश्यकतानुसार वृद्धि भी की जा सकती है । विशिष्ट बीमारियों हेतु पुनर्भरण की राशि की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये कर दी गई है । ऐलोपैथी के अलावा होमियोपैथी अथवा आयुर्वेद की निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है । दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनरों को निःशुल्क चिकित्सा के स्थान पर 100 रुपये प्रतिमाह राशि प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है ।

156. सभी कर्मचारियों को केन्द्र के अनुसार सामान्य प्रतिस्थापन (replacement) वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं, साथ ही कतिपय संवर्गो को केन्द्र की पृथक व्यवस्था के अनुरूप विशिष्ट वेतनमान भी दे दिये गये हैं । फिर भी कतिपय कर्मचारी संवर्गो से सम्बन्धित कथित वेतन विसंगतियों के प्रकरणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार एक आयोग के गठन करने का विचार रखती है, ताकि कर्मचारियों के वेतनमान सम्बन्धी समस्याओं पर गहन अध्ययन व विचार होकर समुचित समाधान हो सके । यह आयोग शीघ्र ही गठित किया जा रहा है ।

भाग – II

157. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा गत वर्षों के बजट में जो सिद्धान्तपरक कर प्रबंधन की नीति अपनाई गई है, उसी का अनुसरण करते हुए अब मैं बहुप्रतीक्षित कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ।

158. विश्वव्यापी मन्दी के इस अभूतपूर्व दौर में, मैं सर्वप्रथम हमारी अर्थव्यवस्था के मूल आधार यथा कृषक वर्ग, उद्यमियों व व्यापारियों के साथ-साथ राज्य की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इन विषम परिस्थितियों में भी राज्य की अर्थव्यवस्था को अपने धैर्य व कड़ी मेहनत से संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

159. हमारा यह प्रयास रहा है कि एक ओर हम राज्य के कृषि, उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्रों के समक्ष आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का निराकरण करते हुए, सरलीकृत एवं पारदर्शी कर प्रबंधन व्यवस्था लागू करें, वहीं दूसरी ओर कर रिसाव को नियंत्रित करें जिससे कि हम राज्य को इस कठिन आर्थिक दौर से निकालकर एक सशक्त एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्था कायम करने में सफल हो सकें ।

160. जैसा कि हमारी सरकार के गत वर्षों के कर प्रस्तावों से स्पष्ट है हमारा यह प्रयास रहा है कि राज्य में बहुतायत में उपलब्ध कच्चे माल एवं खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाये ताकि हम मूल्य संवर्धन का लाभ उठा सकें, अधिक औद्योगिक निवेश आकर्षित करने हेतु आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जावें, कर का भार आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग पर न्यूनतम हो तथा अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्ग का योगदान कर राजस्व में तुलनात्मक रूप से बढ़ाया जाये । मैंने इन कर प्रस्तावों में हमारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते

हुए राज्य से व्यवसाय के पलायन को रोकने, जन साधारण के काम आनेवाली दैनिक जीवनोपयोगी वस्तुओं पर कर भार कम करने व न्यूनतम कर दर सम्बन्धी उभर रही राष्ट्रीय एवं उत्तर क्षेत्र के राज्यों की पारस्परिक सहमति तथा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को मद्देनजर रखा है ।

161. सर्वप्रथम, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 तथा राजस्थान विक्रय कर नियम 1995 में प्रक्रिया सरलीकरण के उद्देश्य से व्यावहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन किये जाने प्रस्तावित करता हूँ :

(i) ऐसे व्यवहारी जो विनिर्माता नहीं हैं तथा केवल कर मुक्त अथवा कर प्रदत्त वस्तुओं का ही विक्रय करते हैं, उनकी सुविधा के लिए अब केवल एक पृष्ठीय सरलीकृत वार्षिक विवरणी फार्म 5-बी के रूप में निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है;

(ii) राजस्थान बिक्री कर नियम 1995 के नियम 10(3) व 12(3) में भी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को अब कर मुक्ति प्रमाण-पत्र के प्रार्थना पत्रों को प्रार्थना पत्र प्राप्ति के तीस दिनों में निस्तारित करना आवश्यक होगा;

(iii) वर्तमान में प्रपत्र एस.टी. 5ए में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अवधि 7 माह तक निर्धारित है । व्यवहारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए अब उक्त रिटर्न दाखिल करने की समयावधि सात माह के बजाय नौ माह तक की जानी प्रस्तावित है । अर्थात् अब यह रिटर्न दाखिल करने की अवधि 31 दिसम्बर तक रहेगी ।

162. राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने तथा राज्य के उद्योगों को अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा में सशक्त बनाने की दृष्टि से विक्रय कर प्रोत्साहन तथा आस्थगन योजनाएँ 1987 एवं 1989 प्रारम्भ की गई थीं । 1989 की उक्त योजनाओं की अवधि 31 मार्च, 1998 को समाप्त

हो जाने से राज्य सरकार द्वारा औद्योगीकरण के वातावरण को और गति प्रदान कराने की दृष्टि से विक्रय कर मुक्ति तथा आस्थगन योजनाएँ 1998, अब 1 अप्रेल, 1998 से लागू कर दी गई हैं ।

163. 1989 की प्रोत्साहन व आस्थगन योजनाओं में 31 मार्च, 1997 तक 25 प्रतिशत निवेश करने या 31 मार्च, 1998 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की अनिवार्यता थी । 1989 की योजनाओं के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन कच्चे माल प्रयुक्त करने के 61 वें दिन हुआ माना जाता है जबकि 1998 की योजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन विक्रय बीजक जारी करने की तिथि से हुआ माना जाता है । ऐसी इकाइयों जिन्होंने 31 मार्च, 1998 से 61 दिन से कम अवधि पूर्व कच्चा माल प्रयुक्त किया तथा प्रथम विक्रय बीजक भी 31 मार्च, 1998 से पूर्व जारी कर दिया उनकी कठिनाइयों को देखते हुये यह प्रस्तावित है कि इन इकाइयों को 1998 की योजनाओं में पात्रता दे दी जाये बशर्ते कि इनके उत्पाद 1998 की योजनाओं की नकारात्मक सूची में नहीं आते हों ।

164. ऑटो कल पुर्जे बनाने वाली इकाइयों, ऑटो सहायक इकाइयों व अन्य ऑटो इकाइयों यथा स्कूटर, मोपेड, मोटर-साईकिल, ऑटोरिक्शा आदि को स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश व 200 व्यक्तियों के नियोजन की शर्त पर 12 वर्ष तक विक्रय कर आस्थगन की सुविधा व 7 वर्ष तक कच्चे माल पर क्रय कर से छूट दिया जाना प्रस्तावित है ।

165. प्रदेश में औद्योगिक विकास को और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

(i) औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में आने वाली गैसों पर लागू 4 प्रतिशत की रियायती दर को अब 31 मार्च, 1999 तक लागू कर दिया जाये;

(ii) वैल्डिंग इलैक्ट्रोड व वैल्डिंग रॉड्स पर वर्तमान कर दर 8 प्रतिशत को घटा कर 4 प्रतिशत दिनांक 31 मार्च, 1999 तक किया जाना प्रस्तावित है;

(iii) एच.डी.पी.ई. फैब्रिक पर 4 प्रतिशत की रियायती दर को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।

166. कुछ उद्योगों की हमारे प्रदेश के विकास में विशिष्ट भूमिका है। इन उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

(i) स्टेनलैस स्टील शीट व पट्टा के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल यथा स्टेनलैस स्टील प्लेट्स, इन्गट तथा बिलेट पर कर मुक्ति तथा स्टेनलैस स्टील बर्तनों के निर्माण में कच्चे माल के रुप में प्रयुक्त स्टेनलैस स्टील शीट, पट्टा, सर्किल व स्क्रैप पर लागू 1 प्रतिशत की रियायती कर दर को अब 31 मार्च, 2000 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है;

(ii) खनन के काम में आने वाले उपकरणों यथा हाईड्रॉलिक एक्सकेवेटर, मोबाइल क्रेन व हाईड्रॉलिक डम्पर पर 2 प्रतिशत की रियायती दर को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ा दिया जाना प्रस्तावित है;

(iii) मोटर बॉडीज़ पर कर दर को प्रायोगिक तौर पर 31 मार्च, 1999 तक 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया जाना प्रस्तावित है;

(iv) आर.ई.पी. (रिप्लेनिशमेन्ट) अनुज्ञापत्रों पर लागू कर दर को तुरन्त प्रभाव से 12 प्रतिशत से कम कर 4 प्रतिशत करना तथा पुरानी करदेयता में भूतलक्षी प्रभाव से छूट दिया जाना प्रस्तावित है;

(v) मेंहदी को अन्तर्राज्यीय बिक्री कर से पूर्ण रुप से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है;

(vi) ग्रेनाइट खनिज़ पत्थर पर 12 प्रतिशत रियायती विक्रय कर दर को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है तथा ग्रेनाइट की भांति संगमरमर पर भी वर्तमान दर 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की रियायती बिक्री कर दर 31 मार्च, 1999 तक के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित है;

(vii) यह प्रस्तावित है कि मार्बल स्लरी तथा फ्लाई ऐश आधारित उद्योगों को देय कर-मुक्ति की अवधि को 31 मार्च, 2006 तक बढ़ा दिया जाये । साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि फ्लाई ऐश तथा मार्बल के साथ-साथ स्टोन स्लरी पर भी यह रियायत दी जाये;

(viii) रंगाई व छपाई उद्योग द्वारा प्रयुक्त डाईज़, डाइ-स्टफ, अल्ट्रामैरीनब्लू तथा टेमरींड़ सीड पाउडर पर कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया जाये । यह छूट अन्य रसायनों तथा ब्लीचिंग पाउडर पर लागू नहीं होगी;

(ix) एल्यूमिनियम फॉईल पर अन्तर्राज्यीय बिक्री कर की 1 प्रतिशत की रियायती दर को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।

167. मैं राज्य से व्यापार पलायन रोकने हेतु कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

(i) बिजली के पंखे, कूलर, बल्ब, ट्यूब लाइट, बिजली के तार व केबल तथा बिजली के घरेलू व अन्य उपकरणों एवं उनके कल-पुर्जों को छोड़कर अन्य प्रकार के बिजली के सामान पर 6 प्रतिशत की रियायती दर 31 मार्च, 1999 तक के लिए लागू कर दी जाए;

(ii) बीयरिंग्स पर प्रभावी कर दर 6 प्रतिशत है जिसे घटाकर 4 प्रतिशत दिनांक 31 मार्च, 1999 तक किया जाना प्रस्तावित है;

(iii) समस्त प्रकार के मोटर वाहनों के कल पुर्जे (पॉर्ट्स) व एक्सेसरीज पर प्रभावी कर दर जो कि 8 प्रतिशत है, को दिनांक 31 मार्च, 1999 तक के लिए मोटर वाहनों के समान 6 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(iv) प्लास्टिक कम्पाउन्ड की वर्तमान कर दर 12 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत व प्लास्टिक स्क्रेप की कर दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जानी प्रस्तावित है;

(v) लिनोलियम व लैमीनेटेड शीट जैसे कि सनमाइका, फोरमाइका, डेकोलम इत्यादि पर 12 प्रतिशत की रियायती दर को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है;

(vi) केन्द्रीय व राज्य सरकार के विभागों को कई वस्तुयें बिक्री कर की रियायती दरों पर खरीदने की सुविधा उपलब्ध है । अब राज्य सरकार के विभागों द्वारा खरीद पर लागू नकारात्मक सूची में से टाइपराइटर, डुप्लिकेटर, सिलाई मशीन, वाटर मीटर, फर्टीलाइज़र व पेस्टीसाइड, स्टेशनरी, वैज्ञानिक व सर्जिकल उपकरण एवं ग्लासवेयर हटाये जाने प्रस्तावित हैं तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों की नकारात्मक सूची में से स्टेशनरी आइटम हटाया जाना प्रस्तावित है । अब इन वस्तुओं की बिक्री पर रियायती दरें लागू होंगी;

(vii) पुराने बारदाने को पूर्व में राज्य में विक्रय कर से छूट पंजीयन प्रमाण-पत्र में अंकित कराने की शर्त पर प्रदान की गई थी। अब पुराने बारदाने पर यह शर्त हटाते हुए अन्तर्राज्यीय बिक्री पर भी छूट दिया जाना प्रस्तावित है;

(viii) आभूषण निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त बुलियन की कर दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।

168. कृषि व कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत हैं :

(i) ग्वार गम की शत-प्रतिशत निर्यातक इकाइयों को ग्वार कच्चे माल के रूप में क्रय करने पर कर में छूट हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कर प्रदत्त ग्वार से बनी ग्वार रिफाइन्ड दाल को भूतलक्षी प्रभाव से करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है;

(ii) रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने व किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से कपास पर आधारित नई सूती धागा बनाने वाली इकाइयों को देय कर रियायतों हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि को 31 मार्च 1999 तक बढ़ाते हुये, पूंजी विनियोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 50 करोड़ से घटा कर 10 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है;

(iii) कांटेदार तार पर लागू कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(iv) पानी के पम्प के साथ काम में आने वाली एक्सेसरीज़ यथा होज कॉलर, होज सॉकिट, होज कनेक्टर, होज क्लिप, होज निपिल, फुट वाल्व तथा डेल्टा स्टार्टर पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(v) कपास पर लागू कर दर को 31 मार्च, 1999 तक के लिए

4 प्रतिशत से कम कर 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(vi) डीज़ल जेनेरेटिंग सैट के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के जेनेरेटिंग सैट पर वर्तमान विक्रय कर दर 12 प्रतिशत को घटा कर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।

169. लघु उद्योगों तथा ग्रामीण दस्तकारों को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत हैं :

(i) टिन प्लेट को कच्चे माल के रूप में टिन के कनस्तर व डिब्बे निर्माण में उपयोग हेतु कर की दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित है;

(ii) लोहे की चादरों से निर्मित बक्से, सन्दूक, कोठी व टंकी पर वर्तमान कर दरें जो कि 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक हैं, को घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(iii) ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा व दर्जी व्यवसाय में कार्यरत स्वनियोजित उद्यमियों द्वारा हाथ की सिलाई मशीन का प्रयोग

बहुतायत से होता है। इसमें राहत देने की दृष्टि से सिलाई मशीन व इसके पुर्जों की विक्रय कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(iv) ग्रामीण दस्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से यह भी प्रस्तावित है कि जूतों में लगाने वाली कीलों (शू-टैक) को कर मुक्त कर दिया जाये;

(v) खादी उत्पादनों के संबंध में संस्थाओं के लिए कर मुक्ति हेतु अधिकतम निर्धारित टर्न ओवर की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है ।

170. आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत हैं :

(i) बधाई संदेश, वैवाहिक निमंत्रण पत्र व अन्य सभी प्रकार के मुद्रित कार्ड पर 4 प्रतिशत कर दर लागू की जाये । इस दर

को भूतलक्षी प्रभाव से 2 सितम्बर, 1997 से लागू किया जाना प्रस्तावित है;

(ii) धान अथवा चावल से बने पोहे की वर्तमान विक्रय कर दर 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जानी प्रस्तावित है;

(iii) कालाजीरा व आमीहल्दी को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है;

(iv) कपड़े धोने के साबुन की टिकिया पर लागू 4 प्रतिशत की रियायती बिक्री कर दर को 31 मार्च, 1999 तक के लिये रखा जाना प्रस्तावित है;

(v) सौंठ, दालचीनी, लौंग, इलायची, इमली एवं औषधि में काम आने वाली वनस्पतियों की कर दर 12 प्रतिशत से कम कर 4 प्रतिशत तथा मिर्च, धनिया, मेथी, अजवाइन, सुवा, हल्दी, सौंफ, अमचूर, काथोड़ी व असालिया की कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। यह घटी हुई

दरें 31 मार्च, 1999 तक लागू रहेंगी;

(vi) यह प्रस्तावित है कि घरेलू उपयोग में आने वाले पानी व बिजली के मीटरों पर लागू कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाये;

(vii) कैरोसीन से चलने वाले सभी प्रकार के स्टोवों को पूर्णतया करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है;

(viii) मूल्य आधारित कर मुक्ति को हटाते हुये फुटवियर पर वर्तमान कर दर 10 प्रतिशत को घटाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(ix) मूल्य आधारित कर मुक्ति को हटाते हुये सिले सिलाये कपड़ों व होजरी उत्पादों पर विक्रय कर दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जानी प्रस्तावित है;

(x) कृषकों के लिये उपयोगी 10 अश्व शक्ति तक के डीज़ल इंजन

तथा सेन्ट्रीफ्यूगल वॉटर पम्प व इनके कलपुर्जों को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है;

(xi) लोहे से बनी आम उपयोग की कुछ वस्तुओं यथा सांकल, बाल्टी, दूघ की टंकी (मिल्क कैन) को पूर्णतया कर मुक्त करना प्रस्तावित है;

(xii) पूजा के उपयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं यथा लोबान, धूप, शंख, दीपक, रोली व मोली को पूर्णतया कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है;

(xiii) बच्चों को दी जाने वाली जन्मघुट्टी को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है;

(xiv) ग्रामीण दस्तकारों को राहत देने हेतु यह प्रस्तावित है कि खाल व चमड़ा (हाईडस व स्किन्स) पर वर्तमान कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाए;

(xv) सिरिन्ज व नीडल के उपयोग को ध्यान में रखते हुये समान कर दर करने के संदर्भ में डिसपोज़ेबल सिरिन्ज की तरह डिसपोज़ेबल नीडल पर 12 प्रतिशत की विक्रय कर दर को घटाकर 6 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(xvi) दवाओं से संबंधित वर्तमान प्रविष्टि में रोग के उपचार में आने वाली दवाओं की कर दर 8 प्रतिशत होने का अंकन है । रोग निवारक औषधियों के कर दायित्व के बारे में उत्पन्न हुई भ्रान्तियों को दूर करने की दृष्टि से इन्हें भी वर्तमान प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है;

(xvii) आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक औषधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि इन पर लागू कर दर 8 प्रतिशत को कम कर 31 मार्च, 1999 तक के लिये 4 प्रतिशत कर दिया जाये;

(xviii) पोलियो प्रतिरोधक टीके को छोड़कर अन्य रोग प्रतिरोधक टीकों पर बिक्री कर देय है । प्रस्तावित है कि शिशुओं के लिये रोग

प्रतिरोधक टीकों यथा एम.एम.आर. (मीज़िल्स, मम्प्स, रुबेला टीका), टेटेनस टॉक्साईड व डी.पी.टी. (डिप्थीरिया, परटुसिस, टिटनेस) तथा बी.सी.जी. को पूर्णतया बिक्री कर से मुक्त कर दिया जाये। साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि अन्य रोग प्रतिरोधक टीकों पर लागू बिक्री कर की दर को 8 प्रतिशत रखा जाये;

(xix) ग्रे-क्लॉथ पर कर मुक्ति की अवधि को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।

(xx) वर्तमान में सामान्य कर दर 12 प्रतिशत है । कर ढाँचे को सुसंगत बनाने हेतु कतिपय वस्तुओं को 12 प्रतिशत की श्रेणी में ही रखते हुये यह प्रस्तावित है कि सामान्य कर दर को 8 प्रतिशत कर दिया जाये ।

171. अब मैं कतिपय वस्तुओं के उपयोग पर अंकुश लगाने तथा अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग के राज्य के राजस्व में योगदान बढ़ाने हेतु कुछ कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ :

(i) आग्नेयास्त्र व कारतूस (आर्मस व एम्यूनिशन) पर लागू वर्तमान

कर दर को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(ii) इसी प्रकार आयातित सेन्ट एवं परफ्यूम्स व सौन्दर्य प्रसाधनों (कॉस्मेटिक्स) पर वर्तमान कर दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(iii) आयातित विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड फॉरेन लिकर), डिनेचर्ड स्प्रिट, अफीम, भांग व डोडापोस्त पर वर्तमान विक्रय कर दर को 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है;

(iv) यह भी प्रस्तावित है कि आतिशबाज़ी पर वर्तमान कर दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाये;

(v) साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि पोस्तदाना पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाये ।

आबकारी शुल्क :

172. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 9, 40 एवं 70 के संशोधन एवं आबकारी से संबंधित कतिपय शुल्कों व ड्यूटीज़ को सुसंगत बनाने तथा प्रक्रिया संशोधन संबंधी कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

मोटर वाहन कर :

173. इसी प्रकार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रिया के सरलीकरण संबंधी कुछ प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

राजस्थान स्थानीय कोष निधि अधिनियम :

174. सार्वजनिक निधि का उपयोग सुनिश्चित करने तथा उनमें रिसाव रोकने हेतु राजस्थान स्थानीय कोष निधि अधिनियम में कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

भूमि एवं भवन कर :

175. वर्तमान में 10 लाख रुपये तक बाजार मूल्य के आवासीय भूमि एवं भवन के स्वामियों को स्वकर निर्धारण की सुविधा प्राप्त है जिसे बढ़ाकर 16 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है ।

176. करापवंचन को रोकने के लिये यह प्रस्तावित है कि स्वामित्व (डीम्ड ओनरशिप) के लिये 30 वर्ष से कम की अवधि के लिये लीज़डीड किये जाने की अनिवार्यता को घटाकर अब 20 वर्ष से कम की अवधि के लिये कर दिया जाये ।

177. भूमि एवं भवन कर से संबंधित पुराने बकाया प्रकरण निपटाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत 30 सितम्बर, 1998 तक पुराने बकाया जमा करवाने पर कर में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।

178. शिक्षण संस्थाओं के प्रकरण में भूमि एवं भवन कर में दी जाने वाली छूट अब कक्षा आठ तक की शालाओं तक ही लागू होगी । किन्तु राजकीय विद्यालय तथा डीम्ड विश्वविद्यालय को यह छूट उपलब्ध होगी।

179. भूमि एवं भवन कर के बकाया पर दण्डात्मक ब्याज की दर 18 प्रतिशत है जो कि अधिक प्रतीत होती है । अतः यह प्रस्तावित है कि दण्डात्मक ब्याज की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी जाये ।

मुद्रांक एवं पंजीयन :

180. राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त नीति संस्थान से विचार-विमर्श के पश्चात् नया राजस्थान मुद्रांक एवं पंजीयन अधिनियम, 1998 तैयार किया गया है । इससे संबंधित बिल विधानसभा के इसी सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

181. वर्तमान में निर्मुक्ति विलेख (रिलेंक्विशमेन्ट डीड) पर सम्पत्ति के मूल्य का 1 प्रतिशत पंजीयन शुल्क देय है जिसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपये है । पैतृक सम्पत्ति की निर्मुक्ति भाई या बहिन या पुत्र या पुत्री या पिता या माता के पक्ष में करने पर सुविधा प्रदान करने हेतु पंजीयन शुल्क की अधिकतम राशि 100 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में निर्धारित शुल्क 8 श्रेणी के रिश्तेदारों पर लागू है । अब 100 रुपये का घटा हुआ रियायती स्टाम्प शुल्क कुछ अन्य रिश्तेदारों के पक्ष में हक त्याग करने पर भी लागू किया जाना प्रस्तावित है ।

182. कृषि भूमि पारिवारिक बटवारा प्रकरणों में 10 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के स्थान पर बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत या दस हजार रुपये जो भी कम है, स्टाम्प शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है ।

183. अचल संपत्ति के हस्तान्तरण दस्तावेजों के पंजीयन हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 16 जुलाई से 15 अक्टूबर तक एक विशेष

अभियान चलाया जाकर दस्तावेजों का न्यूनतम शास्ति के साथ पंजीयन किया जाना प्रस्तावित है ।

184. अचल संपत्ति के विक्रय पत्र, दान पत्र, 20 वर्ष से अधिक की लीज़ डीड, विनिमय पत्र, ट्रान्सफर ऑफ लीज़, विभाजन पत्र आदि दस्तावेजों पर मुद्रांक कर दस्तावेज के निष्पादन की तिथि को प्रचलित बाजार मूल्य पर देय है। इस संबंध में कलैक्टर मुद्रांक के न्यायालय में विचाराधीन कमी मालियात के मामलों में, मुद्रांक अधिनियम की धारा 47-डी के अन्तर्गत अतिरिक्त मुद्रांक का जमा करवाने हेतु नोटिस प्राप्त प्रकरणों तथा दस्तावेज के निष्पादन व पंजीयन हेतु 15 अक्टूबर, 1998 तक प्रस्तुत प्रकरणों में अभियान की अन्तिम तिथि तक राशि जमा करवाने पर उपरोक्त अवधि के दौरान मुद्रांक शुल्क में 3 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है ।

मनोरंजन कर :

185. सिनेमा उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा अल्प आय वर्ग के दर्शकों

को राहत देने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि दस रुपये मूल्य तक के सिनेमा टिकटों पर मनोरंजन कर की दर 100 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी जाये ।

विद्युत् कर :

186. राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (एमेंडमेंट एवं वेलीडेशन) एक्ट 1992 के प्रभाव में आने के कारण विभिन्न औद्योगिक इकाइयों पर वर्ष 1982 से विद्युत् कर व उस पर ब्याज की देयता से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुये यह प्रस्तावित है कि यदि ये इकाइयां विद्युत् कर की मूल राशि जमा करवा देती हैं तो इन्हें ब्याज से पूर्ण छूट दे दी जायेगी। यह भी प्रस्तावित है कि मूल राशि अधिकतम अगस्त, 1998 से प्रारम्भ होकर आठ मासिक किश्तों में इसी वित्त वर्ष में जमा करवाई जा सकेगी ।

लॉटरी :

187. लॉटरी से आय राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। फिर भी सरकार ने पहले एक अंकीय लाटरीज़ पर प्रतिबंध लगाते हुए लगातार

इसके चलन पर अंकुश लगाया है। इस सामाजिक बुराई को पूर्णतया समाप्त करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के क्रम में मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी लॉटरी योजनाऐं बंद कर दी जायें ।

188. विभिन्न कर रियायतों तथा लॉटरी योजनाएँ बन्द होने के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी की पूर्ति, ऊपर वर्णित नये कर प्रस्तावों, आबकारी शुल्क की दरों के सुसंगतिकरण तथा बेहतर कर प्रबंधन के द्वारा की जायेगी। साथ ही बिक्री कर दरों में सरलीकरण हेतु किये गये परिवर्तन से बेहतर कर अनुपालना तथा व्यापार हेतु अनुकूल वातावरण बनने से अधिक राजस्व की प्राप्ति अपेक्षित है। इसलिये उपरोक्त कर रियायतों का कुल राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

भाग – III

परिवर्तित आय–व्ययक अनुमान (1998–99) :

189. चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

1. राजस्व प्राप्तियाँ	10189 करोड़ 47 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय	11521 करोड़ 56 लाख रुपये
3. राजस्व घाटा	(-) 1332 करोड़ 09 लाख रुपये
(जिसमें से गैर-आयोजना राजस्व घाटा)	(-) 1053 करोड़ 34 लाख रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियाँ	5758 करोड़ 41 लाख रुपये
5. पूंजीगत व्यय	4198 करोड़ 12 लाख रुपये

6.	पूंजीगत खाते में आधिक्य	(+) 1560 करोड़ 29 लाख रुपये
7.	बजटीय अधिशेष	(+) 228 करोड़ 20 लाख रुपये
8.	पिछले वर्ष 1997-98 का अन्तिम घाटा = 1998-99 का प्रारम्भिक घाटा	(-) 227 करोड़ 34लाख रुपये
9.	अन्तिम अधिशेष	(+) 86 लाख रुपये

राजस्व खाता :

190. वर्ष 1998-99 के मूल अनुमानों में आँके गये 1986 करोड़ 95 लाख रुपये की तुलना में परिवर्तित अनुमान 1998-99 में राजस्व घाटे में 654 करोड़ 86 लाख रुपये का सुधार हुआ है जो मुख्यतः अनुमानित सम्भावित राजस्व एवं अन्य अनुदान प्राप्तियों की अधिक राशि तथा राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु में की गई वृद्धि के परिणामस्वरुप होने वाले पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के व्यय में कमी के कारण है।

191. राज्य सरकार राजस्व घाटे को शनैः शनैः कम करने के प्रति कटिबद्ध है और दसवें वित्त आयोग द्वारा आयोजना राजस्व अनुदान नहीं देने के बावजूद इस हेतु गत वर्षों में शासन द्वारा प्रयास भी होते रहे हैं । परन्तु पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व भत्तों में व्यापक संशोधन के फलस्वरूप वर्ष के प्रारम्भिक बजट अनुमानों में राजस्व घाटा बढ़कर 1986 करोड़ 95 लाख रुपये हो गया था । अब यह घटकर परिवर्तित अनुमान 1998-99 में 1332 करोड़ 9 लाख रुपये का रह गया है । वर्ष 1998-99 में पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण राज्य सरकार के ऊपर लगभग 1985 करोड़ रुपये का भार पड़ा है । यदि यह अतिरिक्त भार न आता तो हमारे बजट के राजस्व खाते में भी इस वर्ष अधिशेष होता । इस भार के कारण राजस्व घाटे को कम करने के प्रयासों में अवरोध तो अवश्य आ गया है लेकिन फिर भी राज्य सरकार इसे कम करने के प्रति सजग है । यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राज्य सरकार के व्यय को कम करने की दृष्टि से विभागों के व्यय के परीक्षण तथा संसाधनों को बढ़ाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी

एवं मेरे अधीन दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है । इन समितियों के निर्णयों के अच्छे परिणाम आने की आशा है।

192. सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयत्नों के फलस्वरुप अंततः केन्द्रीय सरकार ने दसवें वित्त आयोग की अन्तरण वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी सिफारिश को लागू करने के निर्णय की घोषणा कर दी है जिसके फलस्वरुप राज्यों को केन्द्रीय करों के सकल संग्रहण में कम से कम 29 प्रतिशत के बराबर राशि बतौर हिस्सा मिलेगी । उम्मीद है कि इस हिस्सा प्रतिशत में आगे भी संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के दौरान कुछ और बढ़ोतरी होगी ।

आयोजना व्यय :

193. राज्य की वार्षिक योजना 1998-99 के अंतिम आकार व परिव्यय आदि पर अभी योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच विचार विमर्श नहीं हुआ है । योजना आयोग द्वारा आकलित संसाधनों, भारत सरकार से केन्द्रीय करों में हिस्से के अंतरण हेतु परिवर्तित फार्मूले के

तहत मिलने वाली संम्भावित अतिरिक्त राशि तथा आयोजना सहायता के विभिन्न मदों में भारत सरकार द्वारा की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य की वार्षिक योजना सीमा को अंतरिम रूप से 4127 करोड़ 65 लाख रुपये पर तय किया गया था और उसी के अनुसार परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान बनाये गये, लेकिन इसके बाद जनसहभागिता के आधार पर अतिरिक्त विकास कार्यों के सम्पादन एवं बजट भाषण के पूर्व अनुच्छेदों में शामिल किये गये कल्याणकारी प्रस्तावों की क्रियान्विति हेतु धनराशि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राज्य की आयोजना सीमा को बढ़ाकर 4200 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ । आयोजना सीमा का यह आकार गत वर्ष की 3500 करोड़ रुपये की मूल आयोजना सीमा से 20 प्रतिशत अधिक है ।

समग्र बजटीय स्थिति :

194. वर्ष 1998-99 के मूल अनुमानों में 413 करोड़ 13 लाख रुपये का बजटीय घाटा अनुमानित किया गया था । अब परिवर्तित बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष का घाटा समाप्त होकर अधिशेष की स्थिति अनुमानित की गई

है, जिसके अनुसार वर्ष का अधिशेष 228 करोड़ 20 लाख रुपये का होना अनुमानित है । इससे पिछले वर्ष का 227 करोड़ 34 लाख रुपये का घाटा समायोजित होकर 86 लाख रुपये का निवल अधिशेष (net surplus) की समग्र स्थिति आ गई है।

195. इस संकल्प एवं आशा के साथ कि राज्य में चालू विकास की प्रक्रिया को मेरे ये बजट प्रस्ताव त्वरा प्रदान करेंगे तथा वृहत्तर जन कल्याण में उत्तरोत्तर प्रगति के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को फलीभूत करने में साधक सिद्ध होंगे ताकि हमारा राजस्थान देश के अन्य विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में गौरवपूर्ण स्थान पर खड़ा हो सके, मैं इन बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की सिफारिश के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ ।

– जय हिन्द –